67/118

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 983930

...धिकारी
..., जौनपुर

न्यास विलेख

बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय ट्रस्ट

ग्राम–मकरा, पोस्ट–लहंगपुर, तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर

यह न्यास विलेख विपिन कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–मकरा, पोस्ट–लहंगपुर, विकासखण्ड–जलालपुर, तहसील– केराकत, जिला–जौनपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ राष्ट्र एवं समाजहित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख, शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिकों गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिकता, ताल–मेल बनाये रखना व समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति, पाति, छुआ–छूत, धर्म एवं सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। समाहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में [illegible] को प्रभावित किये जाने की आवश्यकता को [illegible] हुए विभिन्न संस्थाओं एवं [illegible] का [illegible] किया [illegible] आवश्यक पाकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी [illegible] की स्थापना की जाती है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस [illegible] संसाधनों को [illegible] के बाबत 5100/– (पाँच हजार एक सौ रुपये मात्र) का एक [illegible] घोषित किया गया [illegible] भी इस [illegible] में विभिन्न उपायों [illegible] चल–अचल [illegible] व्यवस्था [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये

रु.10

RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 970641

एवं प्रशासन व्यवस्था के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिनकी स्थापना निम्न रूपेण की जायेगी —

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम 'बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय ट्रस्ट' पत्र में आगे 'न्यास' अथवा ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास के कार्यालय ग्राम–मकरा, पोस्ट–लहंगपुर, जिला–जौनपुर होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ट्रस्ट अधीन जानी व समझी जायेगी।

3. 3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान, प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप में कार्य करने को सहमत है व न्यास की न्यासी नामित करते हैं, इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 7 से कम तथा 11 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

बिपिन कुमार सिंह   बिपिन कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970642

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	बिपिन कुमार सिंह	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	प्रबन्धक / मुख्य न्यासी	ग्राम–मकरा, लहंगपुर, जौनपुर	समाजसेवा
2	विनय कुमार	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम–मकरा, लहंगपुर, जौनपुर	कृषि
3	श्रीमती चन्दा सिंह	विपुल कुमार सिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम–मकरा, लहंगपुर, जौनपुर	कृषि
4	श्रीमती माधुरी सिंह	ओम प्रकाश सिंह	कोषाध्यक्ष	ग्राम–नुआंव, नैपुरा, वाराणसी	कृषि
5	डॉ0 जितेन्द्र राय	स्व0 सर्वदेव राय	मन्त्री	ग्राम व पोस्ट–बेलऊ, आजमगढ़	समाजसेवा
6	अनन्त कुमार सिंह	बिपिन कुमार सिंह	सदस्य	ग्राम–मकरा, लहंगपुर, जौनपुर	कृषि
7	गौरव कुमार राय	सुवास राय	सदस्य	ग्राम–मेहौडा, मुरारा, जौनपुर	कृषि

यह कि हम मुकिर द्वारा "बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय, ट्रस्ट" न्यास के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –

समाज के आर्थिक, [illegible] सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना [illegible] संचालन हेतु कार्य [illegible] । "बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय, ट्रस्ट" के समस्त उद्देश्यों [illegible] क्रियान्वयन करना।

शिक्षा एवं जीवनोपयोगी [illegible] का प्रचार–प्रसार [illegible]
[illegible] एवं रोजगार [illegible] शिक्षा देकर [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970643

3. नव युवक--नव युवतियों व छात्र/छात्रओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों टेक्निकल कालेजों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल, राष्ट्र--भक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6. न्यास द्वारा स्थापित विद्यालयों एवं महा विद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के नियमावलियों के अनुसार उसकी प्रवन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराई गई प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालयों के पदेन सदस्य होंगे तथा नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. लिंग भेद, जाति–पॉत, छूआ–छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊँच--नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों की स्थापना करना।

9. स्थानीय अवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक.स्कूलो तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेजों की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओ म कमजोर विद्यार्थियो के लिए विभिन्न प्रतियोगी [illegible] जेसे- मेडिकल, इजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश [illegible] हेतु [illegible] सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली [illegible] का [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970644

पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फार्मेसी, मेडिकल कालेज तथा प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना। उनके न मिलने की दशा में उनका स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े व कमजोर वर्गों के लिए स्व–रोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रिंटिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायर मैंन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, आइपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्ध करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे – जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे – हैण्डीक्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरष्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कराने का उद्देश्य है।

17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं का क्रियान्वित करना जैसे गूँगे, बहरों अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं एवं अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित/अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन – वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना।

18. [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970645

20. सामुदायिक विकास कार्यक्र को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परमार्श केन्द्र, बरातघर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेलमैद्रान योगा., प्रशिक्षण केन्द्र, ऑगनवाडी, बालवाडी, ड्रामा, स्टेज प्रशिक्षण एवं हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

21. सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राइवेट खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षा रोपण – औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों को उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोग पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधे या आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोड़ करना सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि विलुप्त पौधों की खेती करना।

22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन – जन तक पहुँचाना।

23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकतार एवं सम्पर्ण की भावना का विकास करना।

24. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि मकान तथा वाहनों को खरीदना, बेचना उन्हे किराये या लीच पर लेन देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।

25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम् सुविधा के साथ प्रतिशक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी / गैरसरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें, जैसे – यूनिसेफ, आई0सी0डी0, एस0 नेहरू, युवाकेन्द्र समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विवाद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

26 घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित विमारियों की जानकारी रोकथाम टीकाकरण के लिए, युवाओ को क्रेडिट जागरूक, प्रशिक्षित एव साधन सम्पन्न करना।

27. बीडी [illegible] तम्बाकू पान मसाला, गाजा भॉग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नश [illegible] वाले को उनसे होने वाले विमारियो के प्रति सतर्क करना तथा [illegible] छुटका[illegible] नशा मुक्ति निशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970646

28. समाज की व्याप्त बुराईयों जैसे--अन्धविश्वास, बाल विवाह, दहेज, बाल शोसण महिला सोशण, लिंगभेद, जाति पाति एवं छुआ--छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के हास को दूर करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. महिलाओं से सम्बन्धित योन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताडना, युवतियों का खरीद फरोख्त पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा, उत्पीडन आदि से मुक्ति दिलाना, इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना।

30 सामूहिक विवाह तथा सामुहिक भोज को बढ़ावा देना विभिनन त्यौहारों जैसे--होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रर बकरीद अथवा समारोह जैसे-- शादी, गौना, सालगिर, जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अनाज के रोकथाम हेतु उनहें प्रशिक्षित करना।

31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा, जिम्नास्टिक, जूडो--कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारस्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तरपर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना।

32. विभिनन सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

33. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता प्रशिक्षण दवा किट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ--साथ परिवार कल्याण की परामर्श केन्द्र की स्थापना करना।

34. एड्स, कैंसर, टी0वी0 कोढ, मलेरिया, पोलियों, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी रोकथाम नियंत्रण जागरूकता उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा करना तथा जन समाज के लाभ हेतु डेन्टल, कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

35 ग्रामीण शहरी क्षेत्र में भिखारियों, झुग्गी, झोपडी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास भोजन, पेयजल स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण समाजिक चेतना के प्रति जागरूक तथा उनहें [illegible] सुविधा उपलब्ध कराना।

36 [illegible] कार्यक्रमों जैसे -- सुडा एवं सुडा को संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये   TEN RUPEES

रु.10   Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   66AD 970647

37. सरकार की सहायता गाँव एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल शौचालय, नाली, सड़क निर्माण खण्डजा, टिच पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यवितयों को उपलब्ध कराना।

38. कृषि उद्योग बढ़ावा देने के लिए नये--नयें वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये स्वधिक बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बिमारियों की जानकारी देने तथा दवा की सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित जागरूक एवं प्रशिक्षित करना साथ–साथ कृषि कार्यो उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना टिलहन, दलहन, कृषि, भागवानी, बोर्ड के लिए विकास हेतु नये–नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषि, कृषकों को प्रशिक्षित लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग, सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक होने वाले हानी से लोगों को अवगत कराना।

40. बंजर एवं उसर भूमि गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत वातारणीय संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

41. जल, वायु मृदा एवं धोनी प्रदूषण की जानकारी नियंत्रण उनसे होंने वाले बिमारियों के बारे मे युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा मे कार्यगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा अकाल चक्रवात दुर्घटना की दशा में प्रवाहित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँव, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एव पहचान करना तथा उन्हे सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एव भावी रणनीति के लिए सहयोग, जागरूकता प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों को संस्था तथा कम्पनियो आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

43. [illegible] असहाय पशुओ एव बिमार जानवरों विशेषकर [illegible] एव गायो की देखभाल [illegible] संरक्षण तथा उनके [illegible] निशुल्क दवा व [illegible] व्यवस्था करना [illegible] एव पालन हेतु [illegible] तथा गौशाला [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये   भारत   TEN RUPEES

रु.10   सत्यमेव जयते   INDIA   Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   66AD 970648

44. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सडक, ट्रेन, बस दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बिमार, असहाय वृद्धा व्यक्तियों को निकवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैंक की व्यवस्था करना।

45. इन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनकों विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

46. पंचायती राज एवं उपभोकता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथासमाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सकें।

47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकिय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

48. पेट्रोलियम पदार्थो जैसे- पेट्रोल, डीजल, केरासीन, आयल, आदि के लिए पेट्रोल पम्पों की स्थापना करना एवं एल0पी0जी0 गैस आदि की एजेन्सी संचालित करना।

49. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, डब्लू, एच0ओ., सिडवी, नावार्ड, नोरॉड, डकवारा, आई0आर0डी0पी0एस0, जे0आर0वाई0 अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम स्वजल धारा, सिप्सा, ऐप्सा, आदि कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा इस निमित्त ऋण, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

50. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित करना।

51. सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य डाटा कलेक्शन जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य कैसेट कठपुतली, सामग्री, डाकोमेन्ट्री एवं नुक्कड नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रस्तुत होता है। जिससे न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

52. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया- कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 970649

53. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इससे विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

54. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

55. संस्था उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला, प्रदेशों, देश में स्थापित करना या फैलाना।

56. सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैरसरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

57. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिसद बेसिक शिक्षा के परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

58. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डियर एजुकेशन नई दिल्ली कौसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेगा।

59. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राष्ट्रीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों मे दिये जायेंगे।

60. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेंगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चत्तर महाविद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

61. राज्य [illegible] द्वारा समय – समय पर जो भी आदेश निर्ग[illegible] [illegible] करेगी।

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970650

5. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

1. सामान्य उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्रदान करना।

2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा उनके विभिन्न इकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों, उपसमितियों का संगठन करना।

3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितिओं की सदस्यता के लिए विभिनन प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि करना तथा इनकी प्रबन्ध इकाईयॉ गठित करना।

4. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

5. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना।

6. आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना।

7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में इनके संचालन के बावत गठित समितियों को भंग कर उनकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रो, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की निखुक्ति करना और इसप्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना इनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित मे व्यक्तियों संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों मे दान, उपहार, अनुदान व अन्य स्रोतों से [illegible] सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा [illegible] समस्त कार्यों को करना [illegible]

[illegible signature] [illegible signature]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 66AD 970651

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर व स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रवन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करने हेतु प्रशासन योजना कर तैयार सक्षम प्राधिकारी / कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

6– न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था --

(क) न्यास का गठन एवं संचालन – न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा। –

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवन काल में अगले मुख्यन्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो न्यास के शेष न्यासियों का मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही न्यास का मुख्य न्यासी होगा।

2. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की क्षमता मे उनके ज्येष्ठ पुत्र मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

3. न्यास मण्डल के सदस्यों में न्यासीगण ज्ञान की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जायेगी, इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा।

4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा, लेकिन न्यास मण्डल इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल से पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों मे से की जायेगी, यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत दलसे किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधि उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप में सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों [illegible] रिक्त स्थान की पूर्ति [illegible] रूप में किये गये उपबन्धों [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970652

द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों को अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रूप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नही होगा।

5. न्यास मण्डल के किसी सदस्य को अपने द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में संयोजित कर दिया जायेगा, यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के रूप के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति या अनुमोदित कराया गया प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन--देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरादयित्व नही होगा कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन –

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी, उक्त वार्षिक बैठक मे न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों को वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक मे अनुपस्थित हो सकता है।

2 वार्षिक बैठक मे न्यास के वर्ष भी के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय [illegible] का [illegible] निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से [illegible] नियम एव [illegible] मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 970653

7– मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार व कर्त्तव्य –

- इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसी रसीद देना।
- न्यास की समस्त कार्यवाही लिखित/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
- न्यास की बैठक को आमंत्रित करना तथा न्यास के आय–व्यय का हिसाब– किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।
- न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेख को हस्ताक्षरित करना।
- न्यास द्वारा तथा न्यास के विरुद्ध विधिक कायवाहियों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उनके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
- इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्य को करना।
- न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- न्यास का आय–व्यय रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
- न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारु रूप से रख–रखाव करना।

8– न्यास के कोष की व्यवस्था –

न्यास के कोष को सुचारु रूप से रख–रखाव एव उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ व ऋण राशियाँ निहित होंगी। न्यास के नाम से खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 66AD 970654

9– न्यास के अभिलेख –

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, समस्त रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि।

10– न्यास की परिसम्पत्ति की व्यवस्था –

- यह कि मुख्य न्यासी न्यास की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय–विक्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
- यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।
- न्यास की आय, व्यय व लेखा परीक्षा हेतु न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।
- न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।
- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा–पुस्तिका विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल [illegible] से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 970655

इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु दैनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

- न्यास मण्डल, न्यास के लिए व सभी कार्य न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी, उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।

घोषणा–पत्र

"बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय, ट्रस्ट" की तरफ से हम बिपिन कुमार सिंह न्यासी के रूप में घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास–पत्र लिखकर, पढ़ व समझ कर, स्वस्थ मन व चित्त से बिला किसी बाहरी जब्र दबाव के सोच–समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि न्यास का विधिवत गठन हो सके।

दिनांक: 15/11/2018

बिपिन कुमार सिंह

(बिपिन कुमार सिंह)
मुख्य ट्रस्टी
बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय ट्रस्ट
ग्राम–मकरा, पोस्ट– लहंगपुर
तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 970656

हस्ताक्षर साक्षीगण

नाम -- अशोक कुमार S/o रघुनाथ सा० सिहौली

पता -- केराकत जौनपुर 7275121702

अशोक कुमार

नाम -- मधुकर यादव पुत्र स्व० सूर्यबली यादव

पता-- सा० औरी नरहन केराकत जौनपुर

८५६५०६८५३८

मधु यादव

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 970657

कम्प्यूटराइज्ड बाई– राम कुमार गौतम केराकत जौनपुर। RMK Gautam 15/11/2018

मसविदाकर्ता – राजेन्द्र प्रसाद वसीका नवीस, केराकत, जौनपुर। 15/11/2018

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 30 के पृष्ठ 1 से 36 तक क्रमांक 67 पर दिनॉक 15/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डी०के० अग्रवाल
उप निबंधक केराकत
जौनपुर
15/11/2018